रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2011/ज्येष्ठ 17, 1933

No. 300] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2011/JYAISTHA 17, 1933

नागर विमानन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 जून, 2011

सा.का.नि. 436(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 25-8-2010 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 702 में आंशिक संशोधन करते हुए इसे 19-5-2011 के साथ सा.का.नि. 389(अ) के साथ पठित, निम्न को निम्न प्रकार पढा जाए :—

(i) फार्म I के क्रम संख्या 6 में शब्द 'डिस्प्यूप' के स्थान पर 'डिस्प्यूट' पढ़ा जाए;

(ii) फार्म I में क्रम संख्या 17 के बाद शीर्षक 'आवेदक (आवेदकों) द्वारा षोघाणा' में 'षोघणा' के स्थान पर 'घोषणा' पढ़ा जाए;

(iii) फार्म I में आवेदक (आवेदकों) द्वारा घोषणा की दूसरी पंक्ति में शब्द 'हेयरभिथ' के स्थान पर 'हेयरविथ' पढ़ा जाए;

(iv) फार्म II में शीर्षक '[नियम-3 के उप नियम(1) को देखें]' में 'उप-नियम (1)' के स्थान पर 'उप-नियम (2)' पढ़ा जाए;

(v) फार्म II में क्रम संख्या 5 में 'अधिकिरण' के स्थान पर 'अधिकरण' पढ़ा जाए;

(vi) फार्म II में क्रम संख्या 7 में शब्द 'इलिबॅरेशॅन' के स्थान पर 'इलैबॅरेशन' पढ़ा जाए;

(vii) फार्म II के क्रम संख्या 8 में शब्द 'कन्डिस्डरेशॅन के स्थान पर 'कन्सिडरेशॅन' पढ़ा जाए;

(viii) फार्म II के क्रम संख्या 9 में शब्द 'प्रॅवश्जन' के स्थान पर 'प्रॅविश्जन' पढ़ा जाए;

(ix) फार्म II के क्रम संख्या 11 की पहली पंक्ति के नीचे शब्द 'पेट्शन' के स्थान पर 'पेटीशन' पढ़ा जाए;

(x) फार्म II में 'अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं) द्वारा घोषणा' की प्रथम पंक्ति में 'काई' के स्थान पर 'कोई' पढ़ जाएँ;

(xi) फार्म II में 'पुनर्वादी (पुनर्वादियों) द्वारा घोषणा' की दूसरी पंक्ति में शब्द 'कंसर्नड' के स्थान पर 'कंसील्ड' पढ़ा जाए;

(xii) फार्म II में 'पुनर्वादी (पुनर्वादियों) द्वारा घोषणा' की दूसरी पंक्ति में शब्द 'हेयरभिथ' के स्थान पर 'हेयरविथ' पढ़ा जाए;

2. बाकी को उसी तरह पढ़ा जाए ।

[फा. सं. ए. 12023/001/2009-एडी]

ओमानन्द, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th June, 2011

G.S.R. 436(E).—In partial modification to this Ministry's Notification No. G.S.R. 702 dated 25-8-2010 read with G.S.R. 389(E), dated 19-5-2011, the following may be read as under :—

(i) In S. No. 6 of Form I, the word 'dispupe' may be read as 'dispute';

(ii) In second line of Declaration by Applicant(s) in Form I, the word 'herewhith' may be read as 'herewith';

(iii) In S. No. 7 of Form II, the word 'eleboration' may be read as 'elaboration';

(iv) In S. No. 8 of Form II, the word 'condisderation' may be read as 'consideration';

(v) In S. No.9 of Form II, the word 'provsions' may be read as 'provisions';

(vi) In first line below S. No. 11 of Form II, the word 'pettion' may be read as 'petition';

(vii) In the first line of Declaration by Appellant(s) of Form II, the word 'concerned' may be read as 'concealed';

(viii) In second line of Declaration by Appellant(s) of Form II, the word 'herewhith' may be read as 'herewith'.

2. The rest remains same.

[F. No. A. 12023/001/2009-AD]

OMA NAND, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.